संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

संचिका संख्या : SHSB/GA/HR/7564/2023

आदेश सं०: 6803 पटना, दिनांकः 10/02/2023

–:आदेश:–

विज्ञापन संख्या 10/2020 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्य के क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (RPMU) के लिए **Accountant - RPMU** के संविदागत रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से एकमुश्त मानदेय रू० 15,000/– प्रतिमाह पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (RPMU) में पदस्थापित किया जाता है:–

क्र०	आवेदन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	चयनित कोटि	पदस्थापन RPMU
1	2	3	4	5	6
1	ARP000519	SAURAV KUMAR HAMDAM	03-03-1993	UR	PURNIA
2	ARP000593	HATIM ALI	12-12-1987	UR	SARAN
3	ARP000744	SATISH KUMAR GUPTA	07-09-1995	MBC	MUNGER
4	ARP000778	ARVIND KUMAR DUBEY	02-04-1992	EWS	PATNA
5	ARP000191	AYUSHI KUMARI	20-01-1999	UR	BHAGALPUR
6	ARP000656	DEEPAK KUMAR	14-07-1998	BC	TIRHUT
7	ARP000149	SUNNEY KUMAR RAJAK	23-03-1991	SC	DARBHANGA
8	ARP000860	RASHMI KUMARI	17-08-1993	UR	MAGADH
9	ARP000105	MONIKA KUMARI	01-04-1998	MBC	KOSI

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि :–

i. **दिनांक 28/02/2023 तक** अपने नाम के सामने स्तंभ–6 में अंकित पदस्थापन RPMU में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

ii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा। योगदान के समय अपना सभी वांछित मूल प्रमाण–पत्र संबंधित RPMU के समक्ष समर्पित करेंगे, जहाँ सभी मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायेगी। जाँचोंपरान्त कोई त्रुटि/गलती पाये जाने पर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

iii. योगदान के पश्चात् रू० 1,000–1,000 /– (एक हजार रुपये) का दो (02) Non Judicial स्टाम्प पेपर पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के सक्षम पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करेंगे।

iv. यदि सरकारी सेवा में हैं या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर सम्प्रति 11 (ग्यारह) माह के लिए होगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत RoP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।

vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

vii. पदस्थापन RPMU में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

viii. उक्त पदाधिकारियों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण–पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्वसूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

ix. सभी नवनियोजित Accountant - RPMU को एकमुश्त मानदेय रू० 15,000/– (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का भुगतान संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (RPMU) से किया जाएगा। मानदेय/प्रतिमाह FMR Code- HSS.9 के क्रमांक 185.2 के तहत विकलनीय होगा।

3. सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश में कुल 02 पृष्ठ हैं एवं सभी हस्ताक्षरित हैं।

ह०/–
(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांकः SHSB/GA/HR/7564/2023/6803 *पटना,* ***दिनांकः*** *10/02/2023*

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति,बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव–सह–प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक (वित्त)/वित्त प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य लेखा प्रबंधक/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रोग नियंत्रण सहित), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के अधिकृत वेबसाईट http://shs.bihar.gov.in/ पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

10/2/23

कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार